भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 191*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण

191*. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खरीफ मौसम 2025 के दौरान उर्वरकों की समय पर उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) डीएपी जैसे प्रमुख उर्वरकों के वर्तमान घरेलू उत्पादन स्तर का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय खरीद समझौतों के माध्यम से आपूर्ति के अंतर को पूरा कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

'उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण' के संबंध में श्रीमती पूनमबेन माडम द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.191* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग): पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान सभी प्रमुख उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस के उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं:

उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)			
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एनपीकेएस**
2020-21	246.05	37.74	100.54
2021-22	250.72	42.22	89.67
2022-23	284.94	43.47	100.40
2023-24	314.09	42.93	101.85
2024-25	306.67	37.69	121.05
2025-26 (30.07.2025 तक)	92.81	13.56	36.96

(घ): यूरिया के मामले में आयात सरकारी खाते से 3 नामित एसटीई अर्थात् इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के माध्यम से किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार आवश्यक उर्वरकों और कच्चे माल के आयात को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से संसाधन संपन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। सरकार देश में इन उर्वरकों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक करारों (एलटीए) और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रही है। डीएपी/एनपीके के लिए, उर्वरक कंपनियों ने सऊदी अरब, मोरक्को और रूस से वर्ष में 77.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आयात करने के लिए दीर्घकालिक करार (एलटीए) किए हुए हैं। एमओपी के लिए, रूस, इज़राइल, बेलारूस और जॉर्डन से वार्षिक रूप से 20.25 लाख मीट्रिक टन की मात्रा मे उर्वरक आयात करने के लिए एलटीए किए गए हैं।

****